बिल का सारांश

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2021

- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में 5 अगस्त, 2021 को पेश किया गया। यह बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट, 2009 में संशोधन करता है। 2009 के एक्ट में विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है। इन राज्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आंध्र प्रदेश, (ii) बिहार, (iii) केरल, और (iv) हरियाणा। 2021 के बिल में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रजत अस्थाना
rajat@prsindia.org

10 अगस्त, 2021